

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018

www.rsmssb.rajasthan.gov.in

दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.8(95)RSSB/प.आ./TRA/JRA/2023/91

दिनांक: 05/2/2024

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख्या 02/2023 क्रमांक 2171 दिनांक: 20.06.2023 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2023 के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। इस परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जावेगा:-

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	परीक्षा का समय
1.	कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2023	11.02.2024 (रविवार) पेपर-I	प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक
		11.02.2024 (रविवार) पेपर-II	अपरान्ह 03.00 बजे से 05.30 बजे तक

परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र हेतु निर्देश :-

- आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
- बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे। उक्त परीक्षाओं के ई-प्रवेश पत्र अभ्यर्थी दिनांक 05.02.2024 को सायं 6.00 बजे से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किये गये मोबाईल नम्बर पर "Rajasthan State Recruitment Portal" (WhatsApp number 9461062046) से भी डाउनलोड/रिसीव कर सकते हैं।
दिनांक 05.02.2024 को सायं 6.00 बजे से "प्रोविजनल ई- प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in अथवा स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। अभ्यर्थी अपने प्रोविजनल ई- प्रवेश पत्र वेबसाइट <https://recruitment.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करने के स्टेप निम्न प्रकार है :-
 - Enter Url <https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard>
 - Click on Get Admit Card Option.
 - Click on Get Admit Card Option of Recruitment to download the admit card.
 - Enter Your Application number and DOB
- रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।

परीक्षार्थी की केन्द्र पर पहचान एवं तलाशी :-

- अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 1½ घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जावेगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें।
- परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में ही पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान-पत्र में से कोई एक से मिलान किया जावेगा।
उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5cm×2.5cm साईज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो(जो Merge, Morphed एवं Tempered किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो। सभी

फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जाँच की जावेगी) एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।

6. परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी (**Frisking Agency/Biomatrics Device**) से Face Recognition हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जाँच के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
7. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
8. ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुतलेखक देय है, वे जिला चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर दें। इसके पश्चात् केन्द्राधीक्षक भौतिक रूप से देखकर एवं प्रमाण पत्र से जाँच कर संतुष्ट होने पर ही श्रुतलेखक की सुविधा केन्द्राधीक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। केन्द्राधीक्षक बोर्ड के निर्देशानुसार श्रुतलेखक की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेगे।

परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेसकोड :-

9. ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जारी विस्तृत विज्ञप्ति अवश्य देखें। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
 1. कोट, टाई, मफलर, जाकेट, जरकिन, ब्लेजर, शॉल आदि पहन कर नहीं आवें। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी/स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों, पहनकर आवें। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाये जाने की संभावना हो, पहनकर नहीं आवें। महिलायें अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयरपिन लगा कर आ सकती हैं। **समस्त परीक्षार्थी मास्क भी आवश्यक रूप से पहनकर आवें।**
 2. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी के समय अपना कोट, गर्म स्वेटर, जर्सी उतार कर/सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी।
 3. परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रॉच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
 4. परीक्षार्थियों को लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी।
 5. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। जूते, सैण्डल एवं मोजे छोटे टखनों (Ankle) तक के पहनकर आ सकते हैं।
 6. गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.27(14) गृह-1/2008/ दिनांक 14.12.2019 के अन्तर्गत अंकित है "सिक्ख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जावेगी"। अतः ऐसे अभ्यर्थी उक्तानुसार प्रतीकों को धारण कर परीक्षा कक्ष में ले जा सकते हैं किन्तु कृपाण छोटी एवं **Covered** होनी चाहिये तथा परीक्षा कक्ष में टेबल पर नहीं रखी जावेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा ताकि जाँच/स्क्रीनींग कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके। यदि स्क्रीनींग के दौरान उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण (**Suspected Device**) ले जाना पाया जावे तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जावेगा।
 7. यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जावेगा।

परीक्षा में नकल/अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून :-

10. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर उगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न **Social Media** पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों

का उपयोग एवं अनन्यामेत गातावाध्या (आधोनयम का धारा 2(च) कं अन्तगत यथा पारभाषेत) में सालेप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनो की रोकथाम के अध्यापाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।

परीक्षार्थी हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

11. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जावेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रू. 100/- (रू. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी।
12. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है
13. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।
14. नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(मेजर जनरल आलोक राज)
अध्यक्ष